

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 30 / 2024
जीसीएमएस नं. : 2024 / 101

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री निखिल तिवारी / नरेन्द्र तिवारी, प्रोपराईटर द
लाईव केक स्टूडियो बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा
(राजस्थान)

उपस्थित

—विभागीय प्रतिनिधि

श्रीमती अंजुबाला शर्मा, अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 09-01-2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग / अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 22.09.2024 को बागीदौरा स्थित द लाईव केक स्टूडियो की जांच उसके प्रोपराईटर श्री निखिल तिवारी की उपस्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार रोट प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलू सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है—

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	0603825	17.200	16.200	1.000

श्री निखिल तिवारी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग



(Handwritten signature)

हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस, बागीदौरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रमेश/ लालेंग को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 29.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्रीमती अंजुबाला शर्मा अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी का केक एवं बेकरी व बेकरी सम्बन्धित व्यवसाय है एवं अपनी दुकान में गैस सिलेण्डर की कोई आवश्यकता नहीं है, गैस सिलेण्डर घरेलु था, जिसमें काफी कम गैस वनज 1.000 किग्रा होने से उक्त गैस सिलेण्डर को भरवाने हेतु दुकान पर रखा था और उक्त घरेलु गैस कनेक्शन मेरे पिता के नाम से जारी किया हुआ है। जिसकी पास बुक की प्रति संलग्न है। मुझ प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से गैस सिलेण्डर का कोई व्यवसाय या कारोबार नहीं किया जाता है और न ही अवैध भण्डारण किया जाता है एवं अपनी दुकान में व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग नहीं किया जाता है। इस हेतु मुझ प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए जब्तशुदा 1 घरेलु सिलेण्डर को सुपूर्द कर दिलाये जाने हेतु निवेदन है।

दिनांक 09.01.2025 को अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपने जवाब में प्रस्तुत बिन्दुओं को ही अपनी ओर से बहस मानकर प्रकरण निस्तारित करने निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 22.09.2024 को बागीदौरा स्थित द लाईव केक स्टुडियो की जांच उसके प्रोपराईटर श्री निखिल तिवारी की उपस्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। श्री निखिल तिवारी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु



२५

सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस, बागीदौरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रमेश/ लालेंग को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 09-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(^{१५}डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)